हरियाणा राज्य व अन्य

बनाम

अमरनाथ बंसल

15 जनवरी, 1997

(एस.सी. अग्रवाल और जी.टी. नानावती, जे.जे.)

सेवा कानून- अधिवार्षिता आयु-जींद राज्य सिविल सेवा विनियम, संख्या-01.

27- लागू होना-पी.ई.पी.एस.यू.(पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ) के राज प्रमुख द्वारा जारी धारा 2005 के अध्यादेश संख्या-1 और धारा 2005 के अध्यादेश संख्या 16 द्वारा राज्य विनियमन को निरस्त कर दिया गया था। इस तथ्य के बावजूद की अध्यादेश अस्थायी थे, लेकिन इस नियम को हर समय के लिए निरस्त करने के इरादे से पूर्ववर्ती जींद राज्य का कर्मचारी बन गया। धारा 27 जींद सेवा विनियम-सामान्य खंड अधिनियम 1897 के आधार पर 62 वर्ष तक सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकते। धारा 6 पी.ई.पी.एस.यू. सेवा विनियमन (1952), अनुच्छेद 9.1.

भारत का संविधान। अनुच्छेद 13- नई संप्रभुता स्थापित करने के लिए शासकों के बीच संधि, निर्णीत-यह राज्य का एक अधिनियम है और ऐसी संधि के खंडों में पूर्व संप्रभु की प्रजा के अधिकार नए संप्रभु के न्यायालयों में लागू करने में सक्षम नहीं है। को मान्यता देना है।

प्रत्यर्थी पूर्ववर्ती जींद राज्य की सेना में एक नागरिक क्लर्क था। जींद राज्य सिविल सेवा विनियमन,1945 के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष, जैसी की निर्धारित की गयी है।

05 मई, 1948 को जींद राज्य के शासक ने राज्यों के अपने पड़ौसी शासकों के साथ समझौता किया और उनके क्षेत्रों को एक राज्य में एकजुट किया, जिसे ई.पी.सी.एस.यू. के रूप में जाने लगा। संघ राज्य की सेवाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी को पेप्सू के कोषागार में लेखा परीक्षक के रूप में तैनात किया गया था।

भारत के संविधान के लागू होने पर, पी.ई.एस.यू. एक भाग बी राज्य बन गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन तक जारी रहा। फिर पी.ई.पी.एस.यू. का भाग बी राज्य मान्यता प्राप्त पंजाब राज्य का हिस्सा बन गया और प्रतिवादी पंजाब राज्य की सेवा में शामिल किया गया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा पंजाब राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी को हरियाणा राज्य आवंटित किया गया था और जब वह हरियाणा राज्य में सहायक कोषागार अधिकारी के

रूप में कार्यरत थे, वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। प्रत्यर्थी ने एक दीवानी मुकदमा घोषणा बाबत् दायर किया कि उसकी सेवानिवृत्ति अवैध थी और सेवा शर्तों के खिलाफ थी और वह जींद राज्य सिविल सेवा विनियमन, 1945 के अनुसार 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का हकदार था, जो अभी भी उसके उपर लागू था। मुकदमे की निचली अदालत ने इस आधार पर वाद खारिज कर दिया था कि प्रतिवादी की सेवा की शर्तें पंजाब सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित थी, जहां सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गयी है। अपील में, अपीलीय अदालत ने फैसल को उलट दिया और कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु सेवा की एक शर्त है और पी.ई.पी.एस.यू. के शासकों द्वारा किए गए समझौतों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य में और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966 को देखते हुए हरियाणा राज्य, में उक्त शर्त जारी रही। अपीलार्थी-राज्य ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की, जो भी खारिज की गई। इसलिए यह अपील की गयी है।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सन् 1948 में पेप्सू के गठन के बाद उत्तरदाताओं की सेवा की शर्तें पटियाला राज्य में लागू नियमों द्वारा शासित थी। सन् 1952 में पी.ई.पी.एस.यू. सेवा नियम बनाय जाने के बाद, जींद सिविल सेवा नियम, 1945 पी.ई.पी.एस.यू. राज्य में लागू होना बंद हो गया। पंजाब सेवा नियम लागू होने तक उत्तरदाता पी.ई.पी.एस.यू. सेवा

नियम, 1952 द्वारा शासित थे, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी। इसलिए वह जींद सिविल सेवा विनियमन, 1945 में निहित प्रावधानों के आधार पर सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि संधि नवगठित पी.ई.एस.यू. राज्य के लिए संविधान थी और संधि में निहित प्रावधान पी.ई.पी.एस.यू. के साथ-साथ उत्तराधिकारी राज्यों के लिए भी बाध्यकारी थी।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने

अभीनिर्धारित: 1.1 स्वतंत्र राज्यों के शासकों द्वारा की गई संधि जो पी.ई.पी.एस.यू. बनाने के लिए एक साथ शामिल हुए थे, राज्यों के शासकों द्वारा की गई एक संधि थी, जिसके परिणामस्वरूप, करार करने वाले राज्यों के क्षेत्रों पर एक नई संप्रभुता स्थापित की गई थी। इसलिए, यह राज्य का एक अधिनियम है और राज्य के अधिनियम के संबंध मे कानून अच्छी तरह से व्यवस्थित है, जिन क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया है, उनके निवासी उन अधिकारों को अपने साथ नहीं ले सकते जो पूर्व संप्रभु के विषय के रूप में है। नये संप्रभु के विषय के रूप में उनके पास केवल वही अधिकार होते है जो उसके द्वारा दिए गए या मान्यता प्राप्त होते है। पूर्व संप्रभु के विषयों के अधिकारों की मान्यता प्रदान करने वाले स्वतंत्र शासकों द्वारा की गई संधि की धाराएं नए संप्रभु के न्यायालयों में लागू करने में असमर्थ है। (270-डी-ई)

एम/एस डालमिया दादरी सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम काॅम. आयकर(1959) एससीआर (729)-एआईआर(1958) एससी816, प्रमोदचंद्र देब बनाम उड़ीसा राज्य(1962) एसयूपीपी. 1 एससीआर 405-एआईआर(1962) एससी 1288, गुजरात राज्य बनाम वोरा फिदाली (1964) 6 एससीआर-461-एआईआर (1964) एसी 1043, पेमा छिबार बनाम प्रेमभाई छिबाभाई तंगई बनाम भारत संघ (1966) 1 एससीआर 357, एआईआर(1966) एससी 442 और विनोद कुमार शांतिलाल गोसलिया बनाम गंगाधर नरसिंहदास अग्रवाल (1982) 1 एससीआर 392-एआईआर(1981) एससी 1946, पर भरोसा किया।

1.2 पेप्सू सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी जो जींद राज्य के शासकों के कत्र्तव्यों और दायित्वों को मान्यता देता हो। दूसरी ओर, राज प्रमुख द्वारा अध्यादेश जारी किए गए थे, जिसके द्वारा करार करने वाले राज्यों के कानूनों को निरस्त कर दिया गया और पटियाला राज्य के कानूनों को पेप्सू के पूरे क्षेत्र में लागू किया गया था। उक्त अध्यादेशों का परिणामस्वरूप, जींद राज्य सिविल सेवा विनियमन, 1945 को निरस्त कर दिया गया और पटियाला राज्य में लागू प्रासंगिम कानून, जींद राज्य सहित पी.ई.पी.एस.यू. के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिए गए। इसलिए, प्रतिवादी जींद राज्य सिविल सेवा विनियमन, 1945 के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। (273-ई, 274-बी-सी)

2. अन्य करार करने वाले राज्यों के कानूनों को निरस्त करने के बाद से अध्यादेश का उद्देश्य सभी समय के लिए होना था, उक्त अध्यादेश की समाप्ति का यह अर्थ नहीं होगा कि संबंधित उक्त अध्यादेशों का प्रभाव क्षेत्र में अन्य करार करने वाले राज्यों के कानूनों की गैर-प्रयोज्यता पर उक्त अध्यादेश की समाप्ति पर पी.ई.पी.एस.यू. को रद्द कर दिया गया था। इसलिए, अध्यादेश का जींद का राज्य सिविल सेवा विनियमन, 1945 को पुनर्जीवित करने का प्रभाव नहीं हो सकता है। (277-सी)

3. पी.ई.पी.एस.यू. सेवा विनियमन, 1952 के प्रावधान ने पी.ई.पी.एस.यू. राज्य में लागू सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में पहले के कानून, जींद राज्य सिविल सेवा विनियमन, 1945 सहित को संबोाित किया। पी.ई.पी.एस.यू. के कर्मचारी इस तरह के शासित रहे जब तक की भाग बी पी.ई.पी.एस.यू. का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त पंजाब राज्य में विलय कर दिया गया। इसके बाद उन पर पंजाब सिविल सेवा नियम लागू किए गए और जिसके परिणामस्वरूप उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तय की गई। एक बार यह माना गया कि पी.ई.पी.एस.यू. सेवा की विनियमन और पंजाब सेवा नियम सभी पी.ई.पी.एस.यू. सरकारी कर्मचारी पर लागू थे। प्रत्यर्थी जो ऐसे कर्मचारियों में से एक था, उसे इन नियमों द्वारा शासित होना चाहिए और वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह जींद राज्य सिविल सेवा विनियमन, 1945 द्वारा

शासित बना रहेगा। (278-बी-ई)

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय: सिविल अपील संख्या 1514/1994

पजांब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश आर.एस.ए. नम्बर 1491/1990 दिनांकित 6.7.93

राव रंजीत और प्रेम मल्होत्रा-अपीलार्थी की ओर से

प्रदीप गुप्ता और के.के. मोहन-प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

न्यायाधिपति एस.सी. अग्रवाल -यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, एक मुकदमे से उत्पन्न होती है जो प्रत्यर्थी द्वारा दायर-अमरनाथ बसंल एक घोषणा के लिए उनका 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति अवैध था और वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का हकदार है।

प्रत्यर्थी को 12 जुलाई, 1943 को पूर्ववर्ती जींद राज्य सेना में एक नागरिक क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। जींद राज्य में आयु, जींद राज्य सिविल सेवा विनियमन, 1945 के विनियम 27 द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति 62 वर्ष की थी। 5 मई, 1948 को जींद राज्य के शासक और पटियाला, कपूरथला, नाभा, फरियोदकोट मालेरकोटला, नालागढ़ और

कलसिया राज्यों के शासकों ने एक संधि में प्रवेश किया, जिसके तहत वे अपने क्षेत्रों को एक राज्य में एकजुट करने और एकीकृत करने के लिए सहमत हुए जिन्हें पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संध(संक्षेप में ''पेप्सू) के रूप में जाना जाएगा। संघ राज्यों की सेवाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को पी.ई.पी.एस.यू. में कोषागार में लेखा परीक्षक के रूप में तैनात किया गया था। संविधान के लागू होने पवर, पेप्पू एक भाग बी राज्य बन गया और राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्याें के पुनगर्ठन तक जारी रहा। 1 नवंबर, 1956 पंजाब राज्य की सेवा में शामिल कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप पंजाब राज्य का संगठन और 2 नवंबर, 1966 से प्रभावी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा हरियाणा राज्य के गठन से, प्रत्यर्थी को हरियाणा राज्य आवंटित किया गया था। जब वह हरियाणा राज्य में सहायक कोषागार अधिकारी के रूप में कार्यरत थे तो 30 सितंबर, 1948 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। 25 सिंतबर, 1987 को उन्होंने एक मुकदमा (सिविल वाद संख्या 392/1987) दायर किया। उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, रोहतक की अदालत में एक घोषणा के लिए कि 58 वर्ष की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति अवैध और सेवा शर्ताें के विरुद्ध थी और वह 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार थे। उक्त वाद को निचली अदालत ने इस दृष्टिकोण से खारिज कर दिया था कि जींद राज्य

सेवा नियम लागू नहीं थे और उत्तरदाताओं की सेवा की शर्तें, पंजाब सिविल सेवा

नियमों के नियम 3.26, पहला खण्ड पहला भाग द्वारा शासित थी, जो सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में 58 वर्ष निर्धारित करता है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के उक्त फैसले को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश चतुर्थ, रोहतक द्वारा अपील में उलट दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि सेवानिवृत्ति की आयु सेवा की एक शर्त है और अनुबंध के खंड ग्टप् के आधार पर उक्त शर्त जारी रहेगी। पेप्पू राज्य में और उसके बाद पंजाब राज्य में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के मद्देनजर और हरियाणा राज्य में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के मद्देनजर संचालन में है और यह नहीं दिखाया गया है कि पंजाब सिविल सेवा नियमों का भाग 1 खंड 1 के नियम 3.26 के प्रावधनों को प्रतिवादी पर लागू करने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी ली गई थी।

अपीलार्थी-राज्य द्वारा दायर दूसरी अपील- उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर की एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई, 1993 के विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया था। इसलिए यह अपील की गई है।

विचारणीय प्रश्न है कि क्या जींद राज्य सेवा विनियमन, 1945 के प्रावधान, जिसमें राज्य सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति के लिए 62 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। पी.ई.पी.एस.यू. के गठन के बाद और उसके बाद पंजाब और हरियाणा राज्य में जारी रहे। विद्वान् अधिवक्ता

के उपबंधों की उचित सराहना के लिए वाचा के प्रासंगित प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।

अनुच्छेद X(2)। जब तक संविधान द्वारा बनाए गए शर्तों के अनुसार निर्वाचित विधानमंडल अस्तित्व में नहीं आता। अनुसूची प्प् में बताए गए तरीके से गठित संविधान सभा संघ के अंतरिम विधानमंडल के रूप में कार्य करे। ''अनुच्छेद XVI(1)। संघ एतद्द्वारा प्रत्येक करार करने वाले राज्यों के लोक सेवा के स्थायी सदस्यों की सेवा में निरंतरता इस शर्त पर की या तो समझौते की गारंटी देता है उन लोगों की तुलना में कम फायदेमंद नहीं जो 1 फरवरी, 1948 या उचित मुआवजे का भुगतान पर वे सेवा कर रहे थे, आनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्ति थे।''

राज प्रमुख ने वाचा के अनुच्छेद VI के अनुसार 20 अगस्त, 1948 को जींद राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में लिया और उसी तारीख को राज प्रमख ने धारा 2005 का पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ प्रशासन अध्यादेश संख्या-01 जारी किया। उक्त अध्यादेश की धारा 3 में निम्नलिखित प्रावधान थे-

> ''जैसे ही किसी संविदाकारी राज्य का प्रशासन राज प्रमुख द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है। उपरोक्त सभी

कानूनों, अध्यादेशों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों,

अधिसूचनाओं, हिदायतें व फरमान-ए-शाही की तिथि पर पटियाला राज्य में कानून का बल होता है। इस अध्यादेश के प्रारंभ होने से उक्त राज्य के क्षेत्रों में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा और उस तिथि से उस तिथि से ठीक पहले ऐसे प्रसंविदा राज्य में लागू सभी कानून निरस्त प्रभावी होंगे।

बशर्ते कि किसी भी प्रकृति की कार्यवाही लंबित हो, ऐसे किसी भी संविदाकारी राज्य की अदालतों या कार्यालयों में ऐसी तारीख को, इस अध्यादेश या किसी अन्य अध्यादेश में किसी भी बात के बावजूद, ऐसी किसी भी संविदाकारी राज्य में उस समय लागू ऐसी कार्यवाहियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार निपटाया जाएगा।''

15 फरवरी, 1949 को धारा 2005 के अध्यादेश संख्या-01 को निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर अध्यादेश संख्या-01/ 2005 का XVI। उक्त अध्यादेश की धारा 3(1) धारा 2005 के अध्यादेश संख्या 1

की धारा 3 के समान ही थी। 9 अप्रैल, 1949 को पी.ई.पी.एस.यू. का गठन करने वाले राज्यों के शासकों ने एक पूरक संधि में प्रवेश किया, जिसके तहत मूल संधि के अनुच्छेद X को निम्नानुसार प्रतिस्थातिप किया गया था-

> ''भारत के संविधान के प्रारंभ होने तक, संघ का विधायी अधिकार राज प्रमुख में निहित होगा, जो संघ या उसके किसी भी भाग की शांति और अच्छी सरकार के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है और इस प्रकार बनाया गया कोई भी अध्यादेश संघ के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के समान कानून की शक्ति है।''

24 नवम्बर, 1949 को पेप्सू के राज प्रमुख ने भारतीय संविधान को पेप्सू के रूप में स्वीकार करते हुए एक उद्घोषणा जारी की और परिणामस्वरूप, पेप्सू 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के तहत एक भाग बी राज्य बन गया। अनुच्छेद 372 के आधार पर संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पेप्सू में लागू कानून सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहे।

पेप्सू सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18

फरवरी, 1951 द्वारा अनुबंधित राज्यों के स्थायी कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए मुआवजे के भुगतान का प्रावधान किया गया था। उक्त अधिसूचना में यह कहा गया था कि पेप्सू सरकार ने पेंशन के लिए सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति के लिए 55 वर्ष की आयु सीमा को अपनाया था और सेवा नियम जो तत्कालीन नाभा और जींद राज्यों में लागू थे, वे क्रमशः 60 और 62 वर्ष निर्धारित करते है। सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में उक्त अधिसूचना में मासिक पेंशन में वृद्धि के माध्यम से मुआवजे के भुगतान का प्रावधान किया गया है। जो सरकारी कर्मचारी 1 सितंबर, 1948 से 31 अगस्त, 1949 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें मासिक पेंशन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई तथा जो लो 1 सितंबर 1949 और 31 अगस्त, 1950 के बीच सेवानिवृत्त हुए, उन्हें मासिक पेंशन में 7 प्रतिशत की वृद्धि दी गई और जो जो लोग 1 सितंबर, 1951 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को इस आधार पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया कि उन्हें पेंशन के लिए बढ़े हुए वेतन का पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद पेप्सू सरकार ने पेप्सू सेवा विनियमन, 1952 जारी किया। अध्याय IX में, अनुच्छेद 9.1 उक्त विनियमों में यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसी पेंशन पर सेवानिवृत्त होगा जो उस समय लागू नियमों के तहत उसे स्वीकार्य होगी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के

पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पेप्सू का भाग बी राज्य पंजाब के पुनर्गठित

राज्य का हिस्सा बन गया। सेवाओं से संबंधित प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 115 में किए गए थे। धारा 115 की उपधारा (1) के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से ठीक पहले मौजूदा मामलों के संबंध में सेवा कर रहा था। पेप्सू का राज्य होना दिन से एक उत्तराधिकारी राज्य, अर्थात् पंजाब राज्य के मामलों के संबंध में सेवा के लिए आवंटित किया गया माना जाएगा। धारा 115 की उपधारा (7) के परंतुक में यह निर्धारित किया गया था कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के मामले में नियत दिन से ठीक पहले लागू होने वाली सेवा की शर्तों में उसके नुकसान के अलावा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ पंजाब राज्य में पंजाब सिविल सेवा नियम थे, जो चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित करते थे (नियम 3.26)। हरियाणा राज्य का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाब राज्य के पुनर्गठन क परिणामस्वरूप हुआ था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 की उप-धारा (6) के प्रावधान में एक प्रावधान शामिल है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की उप-धारा (7) के परंतुक में निहित प्रावधान के समान।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि 1948 में पेप्सू के गठन के बाद प्रतिवादी के सेवा की शर्तें पटियाला राज्य में लागू

नियमों द्वारा शासित थी और 1952 में पेप्सू सेवा नियम बनने के बाद, जींद राज्य सिविल सेवा नियम, 1945 लागू होना बंद हो गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में पेप्सू में भाग बी राज्य के पंजाब राज्य में विलय होने तक प्रतिवादी की सेवा की शर्तें 1952 के पेप्सू सेवा नियमों द्वारा शासित थी। जब पंजाब सेवा नियम लागू हो गये। यह प्रस्तुत किया गया था कि पटियाला राज्य नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी पंजाब सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित था जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी और इसलिए प्रतिवादी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उचित रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और वह तब तक सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता जब तक वह सेवानिवृत्त न हो जाए। 62 वर्ष की आयु निहित प्रावधानों के आधार पर जींद राज्य सिविल सेवा विनियम, 1945।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रदीप गुप्ता ने आग्रह किया है कि प्रतिवादी तब तक सेवा में बने रहने का हकदार है, में निहित प्रावधानों के मद्देजनर उनकी आयु 62 वर्ष हो गई। जींद राज्य सिविल सेवा विनियमन, 1945 और पर भरोसा रखा गया है। अनुबंध का खंड XVI जो दोनों में से किसी एक के बने रहने की गारंटी देता है, प्रत्येक की सार्वजनिक सेवाओं के स्थायी सदस्यों की सेवा एक सविंदा राज्य उन

शर्तोंे पर जो उन शर्तों से कम लाभप्रद नहीं होगी, जिन पर वे 1 फरवरी, 1948 को सेवा कर रहे थे, या उचित मुआवजे का भुगतान या आनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्ति। श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि अनुबंध पेप्सू के नवगठित राज्य के लिए संविधान की प्रकृति में था और अनुबंध के अनुच्छेद XVI में निहित प्रावधान पेप्सू के साथ-साथ उत्तराधिकारी राज्य, अर्थात् पेप्पे के भाग बी राज्य के लिए बाध्यकारी था। भारतीय संविधान के साथ-साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पुनर्गठित पंजाब राज्य और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत स्थापित हरियाणा राज्य। श्री गुप्ता ने भोलानाथ में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा है। जे.ठाकर बनाम सौराष्ट्र राज्य, एआईआर (1954) एससी 680

पेप्सू बनाने के लिए एकजुट हुए राज्यों के शासकों द्वारा की गई संधि स्वतंत्र राज्यों के शासकों द्वारा की गई एक संधि थी। संधि के तहत शासकों ने अपने संबंधित क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता छोड़ दी और इसे पेप्सू के नए राज्य के शासक को सौंप दिया। संधि के परिणामस्वरूप उन शासकों के राज्यों वाले क्षेत्रों पर एक नई संप्रभुता की स्थापना हुई, जिनके पास था उक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। इसलिए, प्रसविंदा राज्य का एक अधिनियम है। राज्य के किसी कार्य के संबंध में इस न्यायालय के निर्णयोे से कानून अच्छी तरह तय होता है। जिन क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया है, उनके निवासी अपने साथ वे अधिकार नहीं रखते है जो उन्हें

पूर्व संप्रभु

की प्रजा के रूप में प्राप्त थे। नए संप्रभु की प्रजा के रूप मे उनके पास केवल वही अधिकार होते है जो उसके द्वारा दिए या मान्यता प्राप्त होते है। नए क्षेत्रों के अधिग्रहण की प्रक्रिया नए संप्रभु द्वारा उन पर कानूनी रूप से संप्रभु शक्तियों की धारणा को समाप्त करने वाला राज्य का एक निरंतर कार्य है और इसके बाद ही उन क्षेत्रों के निवासियों को उस संप्रभु के विषयों के रूप में अधिकार प्राप्त होते है। अधिग्रहित क्षेत्रों के निवासियों को उन अधिकारों को प्रदान करने वाले कानून के चरित्र के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसे कि अदालतों में विरोध किया जा सकता है। पूर्व संप्रभु की प्रजा के अधिकारों को मान्यता देने के लिए स्वतंत्र शासकों द्वारा की गई संधि की धाराएं नए संप्रभु की अदालतों में लागू करने में असमर्थ है। (डालमिया दादरी सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, 1959) एससीआर 729 पेज 746, प्रमोद चन्द्र देब बनाम उड़ीसी राज्य (1962) एसयूपीपी.। एसीआर 405 पेज 434-436, गुजरात राज्य बनाम वोरा फिदाली(1964)6 एसीआर 461। पेमा चिबर उर्फ प्रेमाभाई छिबाभाई तंगल बनाम भारत संघ व अन्य (1966) 1 एससीआर 357 और विनोद कुमार शांतिलाल गोसालिया बनाम गंगाधर नर-ए सिंगदास अग्रवाल व अन्य (1982)1 एससीआर 392।

मैसर्स में. डालमिया दादी सीमेंट कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) का तर्क था कि पेप्सू बनाने के लिए राज्यों के शासकों द्वारा किया गया अनुबंध राज्य

के एक अधिनियम से कहीं अधिक था और इस अर्थ में नए राज्य के लिए एक संविधान की प्रकृति में था। यह एक कानून है जिसके तहत राज प्रमुख सहित नए राज्य के सभी अधिकारियों को कार्य करता था, यह दिखाने के लिए संविदा के अनुच्छेद XVI पर भी भरोसा किया गया था कि क्वाॅन्डम राज्यों के विषयों के अधिकारों की रक्षा करने का इरादा था। उक्त तर्क को खारिज करते हुए यह माना गया कि प्रसंविदा पूरी तहर से और आंशिक रूप से राज्य का एक अधिनियम है। प्रसंविदा के अनुच्छेद XVI के संबंध में, यह कहा गया था कि ''उच्च अनुबंध करने वाले दलों के बीच एक संधि में एक खंड उन विषयों पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, जिन्हें अदालतों में कार्रवाई का विषय-वस्तु बनाया जा सकता है और यह कि पटियाला संघ इससे बाध्य नहीं है, क्योंकि यह संविदा का पक्ष नहीं थ' (पी. 745) अध्यादेश संख्या 1/एस.2005 का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहा-

> ''निःसंदेह यह एक ऐसा कानून है जो संप्रभु द्वारा अपनी प्रजा को अधिकार प्रदान करते हुए बनाया गया है और कानून की अदालत में लागू करने योग्य है, लेकिन साथ ही इस तरह के कानून का अधिनियम इस बात पर जोर देता है कि अनुच्छेदों में स्वयं कानून की शक्ति नहीं है

और वे थे अधिकारों को बनाने या मान्यता देने का इरादा नहीं है''

इस स्तर पर भोलानाथ जे. ठाकर (सुप्रा) के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है जिस पर श्री गुप्ता ने भरोसा जताया है। उस मामले में अपीलकत्ता वधावन राज्य की सेवा में कार्यरत था। वधावन राज्य के शासक ने अन्य काठियावाड़ राज्यों के शासकों के साथ मिलकर 24 जनवरी, 1948 को संयुक्त राज्य काठियावाड़ (जिस बाद में सौराष्ट्र के नाम से जाना गया) बनाने के लिए एक समझौता किया था। राज प्रमुख ने 15 फरवीर को अपने पद की शपथ ली। 1948 और 1 मार्च, 1948 को उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। 1948 का अध्यादेश संख्या-1, कानून के बल वाले सभी कानूनों, अध्यादेशों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को लागू रखता है। प्रसंविदा राज्य के प्रावधानों के तहत निरस्त या संशोधित होने तक अध्यादेश। वधावन राज्य के शासक ने प्रशासन का कार्यभार संभला। 16 मार्च, 1948 को सौराष्ट्र सरकार को राज्य सौंप दिया गया उसी दिन सौराष्ट्र सरकार द्वारा एक उद्घोषणा जारी की गयी थी कि उक्त राज्य के संबंध में शासक के पास जो भी अधिकार, क्षेत्राधिकार और अधिकार थे, वे सौराष्ट्र सरकार में निहित थे और शासक के अपने राज्य के संबंध में

कर्तव्य और दायित्व सौराष्ट्र सरकार को दिए गए थे और सौराष्ट्र सरकार होगी। उसी को पूरा करे, काठियावाड़ के संयुक्त राज्यों की संधि के अनुच्छेद XVI(1) में पेप्सू के राज्यों का गठन करने वाले शासकों की संधि के अनुच्छेद XVI(1) में निहित प्रावधानों के समान प्रावधान थे। 29 जून, 1948 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ता को सौराष्ट्र सरकार द्वारा इस आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था कि उसने सेवानिवृत्ति की आयु पार कर ली थी, जिसे 55 वर्ष माना जाता था। अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह एस 2004 की धारा (अधिनियम) संख्या 29 की धारा 5 में निहित प्रावधानों के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में बने रहने का हकदार है, जिसे शासक द्वारा प्रख्यापित किया गया था। वधावन राज्य जो 1 जनवरी, 1948 से लागू हुआ, जिसके तहत राज्य के सिविल सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई थी। उन्होंने अपने समय से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए मुआवजे का दावा करते हुए एक सिविल मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे का फैसल ट्रायल कोर्ट द्वारा किया गया था, लेकिन अपील पर मुकदमा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष राज्य की ओ से आग्रह किया गया था कि काठियावाड़ राज्य के नियमों के अनुसार अनुबंध राज्य का एक अधिनियम था और नगरपालिका अदालतें अनुबंध से उत्पन्न किसी भी विवाद पर विचार करने के लिए समक्ष नहीं थी। संविधान के अनुच्छेद 363 पर भी

भरोसा किया गया जो कुछ संधियों और अनुबंधों से उत्पन्न किसी भी

विवाद में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। इस न्यायालय द्वारा उक्त तर्क को इस दृष्टिकोण से खारिज कर दिया गया था कि जब वधावन राज्य सौराष्ट्र राज्य के साथ जुड़ गया और जब यह भारत के डोमिनियन में शामिल हो गया तो सभी मौजूदा कानून निरस्त होने तक जारी रहे और अपीलकर्ता के अधिकार की धारा संख्या 29/एस. 2004 अभी भी अच्छे थे और इन्हे राज्य के एक अनिधियम के रूप में निरस्त या अस्वीकृत होने तक नगरपालिका अदालतों में लागू किया जा सकता था। यह देखा गया कि वास्तव में ऐसा कोई कानून नहीं था और इसलिए उनके अधिकार बने रहे और नगरपालिका अदालतें अनुबंध की जांच करने और धारा 2004 की धारा संख्या 29 को लागू करने और उस धारा और उसके तहत अपीलकर्ता जो भी अधिकार थे, उन्हें लागू करने की हकदार होगी। सेवा का अनुबंध, यह आयोजित किया गया था यह देखने के लिए कि नए संप्रभु के पास अनुबंध था, उसे देखा जा सकता है। पूर्व के कानूनों के तहत दिए गए अधिकारों की अनदेखी करने का उसका अधिकार माफ कर दिया संप्रभु और संविदा की शर्तोंे से पता चला कि मौजूदा कानून जारी रखने थे और अपीलकर्ता के जो भी अधिकार थे। मौजूदा कानून अपीलकर्ता के लिए प्रवर्तन के लिए उपलब्ध थे। ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए नगर निगम अदालतों पर मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है। जहां तक संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत रोक का संबंध है। यह देखा गया है

कि अनुबंध से कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था और अपीलकर्ता जो कर

रहा था वह केवल मौजूदा कानूनों के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए था तब तक लागू रहे और जब तक उन्हें उचित तरीके से निरस्त नहीं कर दिया गया। भोलानाथ्रा जे. ठाकर (सुप्रा)में निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ा कि वधावन राज्य का कानून (एस. 2004 की धारा संख्या 29) 60 वर्ष को सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में निर्धारित करता है, जिसे राज्य की स्थापना के बाद भी लागू रखा गया था। अध्यादेश संख्या 1 से 1948 तक सौराष्ट्र राज्य और अपीलकर्ता उक्त कानून के तहत अपने अधिकारों को लागू करने का हकदार था जो प्रासंगिक समय पर लागू था। इसके अलावा, उस मामले में सौराष्ट्र सरकार ने उसी तारीख को एक उद्घोषणा जारी की थी, जिस दिन वधावन राज्य का प्रशासन सौराष्ट्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, जिसके तहत सौराष्ट्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि शासक के संबंध में कर्तव्य और दायित्व अपना राज्य सौराष्ट्र सरकार को दे दिया गया है और सौराष्ट्र सरकार इसे पूरा करेगी। इस प्रकार यह एक ऐसा मामला था जहां पुराने संप्रभु के कानूनों को जारी रखने के अलावा नए संप्रभु ने पुराने संप्रभु के कर्तव्यों और दायित्वों को मान्यता देते हुए एक स्पष्ट घोषणा की थी।

मौजूदा मामले में, पेप्सू सरकार द्वारा जींद राज्य के कानूनों के तहत जींद राज्य के शासकों के कर्तव्यों और दायित्वों को मान्यता देने वाली ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। न ही सौराष्ट्र के 1948 के अध्यादेश

संख्या 1 के समान कोई कानून था जो जींद राज्य के कानूनों को जारी रखता था। दूसरी ओर, एस 2005 का अध्यादेश संख्या 1 था जिसके बाद एस. 2005 का अध्यादेश संख्या 16 आया, जिसके तहत अनुबंधित राज्यों के कानूनों को निरस्त कर दिया गया और पटियाला राज्य के कानूनों को पेप्सू के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया गया। क्या यह कहा जा सकता है कि उक्त अध्यादेशों के बावजूद, 1945 के जींद राज्य सेवा विनियम, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई थी। संविधान के प्रारंभ की तिथि पर और संविधान के अनुच्छेद 372 के आधार पर पेप्सू में लागू एक कानून था। उक्त विनियम संविधान के लागू होने के बाद पेप्सू के भाग बी राज्य में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पुनर्गठित पंजाब राज्य में और पंजाब राज्य में जारी रहे और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत हरियाणा। उनके राय में उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्म्क में दिया जाना चाहिए। जैसा कि पहले देखा गया था पेप्सू के राज प्रमुख ने 20 अगस्त, 1948 को जींद राज्य के प्रशासन की देखरेख की और उसी तारीख को उन्होंने, एस. 2005 के अध्यादेश संख्या-1 को प्रख्यापित किया और उक्त अध्यादेश की धारा 3 द्वारा सभी कानून, अध्यादेश, अधिनियम, उक्त अध्यादेश के प्रारंभ होने की तिथि पर पटियाला राज्य में कानून के बल वाले नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, हिदायत, शाही-फरमान सभी संधि राज्यों (जींद राज्य सहित) के क्षेत्रों पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू

किए गए थे और उसी से प्रभावी हुऐ थे। ऐसे संविदाकारी राज्यों के सभी

कानूनों को उस तारीख से तुरंत पहले की तारीख तय करे, जब वह निरस्त हो जाएगा। एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 1 के बाद एस.2005 का अध्यादेश संख्या 16 आया, जिसमें एक समान प्रावधान था। उक्त अध्यादेशों के परिणामस्वरूप 1945 के जींद राज्य सिविल सेवा विनियम 20 अगस्त, 1948 को निरस्त कर दिए गए और पटियाला राज्य में लागू प्रासंगिक कानून जींद राज्य सहित पेप्सू के पूरे क्षेत्र में लागू हो गया और शर्तें और प्रतिवादी की शर्तें, इसलिए उस कानून में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होती थी जो पटियाला राज्य में लागू था और वह जींद राज्य सिविल सेवा विनियम, 1945 के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता था।

श्री प्रदीप गुप्ता ने आग्रह किया है कि एस. 2005 का अध्यादेश संख्या 1 जिसके बाद एस. 2005 अध्यादेश संख्या 16 आया, दोनों अस्थायी कानून थे, जो अनुबंध के अनुच्छेद एक्स(2) के मद्देनजर 6 महीने के लिए लागू थे और उसके बाद अगस्त, 1949 में एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 16 की समाप्ति के साथ एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 1 और 16 के तहत जींद राज्य सेवा विनियमों का निरसन अप्रभावी हो गया और जीन्द राज्य सेवा विनियम पुनर्जीवित हो गए और कानून लागू हो गए। भारत के संविधान के लागू होने की तारीख और संविधान के अनुच्छेद 372 के आधार पर उक्त नियम उसके बाद लागू होंगे। इस संबंध में, श्री

गुप्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अनुपूरक प्रसंविदा द्वारा प्रसंविदा के अनुच्छेद X में जो संशोधान किया गया था, वह अमान्य था, क्योंकि प्रसंविदा करने वाले राज्यों के शासकों ने 5 मई, 1948 को प्रसंविदा में प्रवेश करने और खुद को अलग कर लिया था। सभी संप्रभुताएं, पूरक अनुबंध में शामिल होने के लिए सक्षम नहीं थी और इसलिए एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 1 और 16 केवल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रह सके। उक्त प्रस्तुतीकरण के समर्थन में श्री गुप्ता ने फर्म तिलक रामबक्स बनाम पंजा राज्य और अन्य, 1963(2) एससीआर 353 की ओर से लक्ष्मणदास मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि पेप्सू बनाने वाले राज्यों के शासको द्वारा की गई पूरक संविदा को मूल संविदा में प्रावधानों को संशोधित करने के लिए प्रभावी नहीं माना जा सकता है। श्री गुप्ता ने अपनी दलील के समर्थन में गुडरहैम एंड वाॅर्ट्स लिमिटेड बनाम कैनेडियन ब्राॅडकाॅस्टिंग काॅर्पोरेशन, एआईआर, 1949 पीसी 90 मामले में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के फैसले पर भी भरोसा जताया है कि एक अस्थायी कानून द्वारा निरस्त किया गया कानून स्वचालिक रूप से फिर से शुरू हो जाता है। अस्थायी कानून निर्धारित समय के बाद समाप्त होने के बाद पूरी ताकत से काम करता है।

लक्ष्मणदास (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसल के मद्देनजर यह

माना जाना चाहिए कि एस. 2005 का अध्यादेश संख्या 16, 15 अगस्त, 1949 को 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर लागू होना बंद हो गया था। 15 फरवरी, 1949 को इसकी घोषणा की गई, जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। वह यह है कि यह क्या उक्त अध्यादेश की समाप्ति पर जींद राज्य सिविल सेवा विनियम, 1945 जिसे उक्त अध्यादेश द्वारा निरस्त कर दिया था, पुनर्जीवित हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न उड़ीसा राज्य बनाम भूपेन्द्र कुमार बोस, 1962 सप्लिमेंट, 2 एससीआर मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उक्त मामले में एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके तहत कटकनगर पालिका के चुनाव, जिसे उड़ासी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था और उड़ीसा राज्य में अन्य नगर पालिकाओं के संबंध में तैयार की गई मतदाता सूची, जो अन्यथा अनियमित और अमान्य होती उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मान्य किया गया। विधेयक, जिसमें काफी हद तक अध्यादेश के समान प्रावधान थे। उड़ासी विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन बहुमत से पराजित हो गया और परिणामस्वरूप अध्यादेश निर्धारित अवधि की समाप्त के बाद समाप्त हो गया। यह तर्क दिया गया कि अध्यादेश एक अस्थायी कानून था जो निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त होने के लिए बाध्य था और जैसे ही यह समाप्त हुआ कटक नगरपालिका चुनावों में अमान्यता, जो इसके द्वारा ठीक हो गई थी, पुनर्जीवित हो गई। उक्त विवाद

को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है-

‘‘उनकी राय में, एक अस्थायी अधिनियम की समाप्ति का प्रभाव अस्थायी अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न अधिकार या दायित्व की प्रकृति और उनके चरित्र पर निर्भर होना चाहिए कि क्या उक्त अधिकार और दायित्व स्थायी है या नहीं

‘‘यदि कानून द्वारा बनाया गया अधिकार स्थायी चरित्र का है और व्यक्ति में निहित है, तो वह अधिकार नहीं हो सकता है हटा लिया गया, क्योंकि जिस कानून के द्वारा इसे बनाया गया था वह समाप्त हो गया है। यदि कानून के तहत जुर्माना लगाया गया था और किसी व्यक्ति पर लगाया गया था, तो जुर्माना लगाने का कानून, कानून की समाप्ति के बाद भी कायम रहेगा। यह सही कानूनी प्रतीत होता है। प्रकरण की स्थिति।’’

क्रेज ऑन स्टेट्यूटस के 7 वें संस्करण में कानून का निम्नलिखिम कथन स्वीकार किया गया है-

> ‘‘यदि कोई अधिनियम, जो पहले के अधिनियम को निरस्त करता है। वह स्वयं केवल एक अस्थायी अधिनियम है, तो अस्थायी अधिनियम के समाप्त होने के बाद पहले के अधिनियम का पुनर्जीवित किया जाता है और अनुमान से अस्थायी अधिनियम का अस्तित्व समाप्ता हो जाता है और निरस्त नहीं किया जाता है। निर्माण के नियम निर्धारित किए गए है। इंटरप्रोटेक्शन एक्ट, 1889 के एसएस 11(1) और 38(2) लागू नहीं होत है, लेकिन अगर विधायिका स्पष्ट रूप से पिछले अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त करने का इरादा रखी है तो कोई पुनरुद्धार नहीं होगा। ’’

वारेन बनाम विंडले (1803) 3 ईस्ट 205: 102 ई.आर.(के.बी.) 578 में लार्ड एलेनबरो सी.जे. की टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने देखा है कि उक्त निर्णय से पता चलता है कि ‘‘कुछ मामलों में निरसन एक अस्थायी द्वारा प्रभावित होता है। अधिनियम स्थायी होगा और अस्थायी अधिनियम की समाप्ति के बाद भी कायम रहेगा।’’ इस न्यायालय द्वारा अध्यादेश की व्याख्या इस प्रकार की गई थी कि कटक नगरपालिका के चुनाव को अवैध घोषित करने वाले न्यायालय के आदेश

का हमेशा कोई कानूनी प्रभाव नहीं माना जाएगा और उक्त चुनाव वैध थे और इसका प्रभाव अध्यादेश की समाप्त पर उक्त अध्यादेश समाप्त नहीं होगा।

गुडरहैम एंड वोर्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) में कनाड़ा रेडियो प्रसारण अधिनियम, 1932 की धारा 9(बी) को 1933 में एक अस्थायी अधिनियम द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जिसे 30 अप्रैल, 1934 तक लागू रहना था, के संचालन की अवधि अस्थायी अधिनियम को समय पर क्रार्मिक अस्थायी अधिनियमों द्वारा 31 मार्च, 1936 तक बढ़ाया गया था। इस तरह के अंतिम अस्थायी अधिनियम में इस आशय का एक स्पष्ट प्रावधान था कि 1 अप्रैल, 1936 को और उसके बाद 1932 के मूल अधिनियम को अस्थायी के रूप में पढा जाएगा। अधिनियम कभी अधिनियमित नहीं किया गया था। इस परिस्थितियों में प्रीवी कांउसिल ने माना कि अस्थायी कानून द्वारा किया गया निरसन केवल एक अस्थायी निरसन था और जब अस्थायी निरसन समाप्त हो गया तो मूल कानून स्वचालित रूप से अपनी पूरी ताकत से फिर से शुरू हो गया।

यदि एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 1 की धारा 3 और एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 16 की धारा 3(1) के प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा भूपेन्द्र कुमार बोस (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में समझा जाता है। यह माना जाना चाहिए कि उक्त प्रावधानों को अंतर्निहित उद्देश्य पेप्सू के

क्षेत्र में अन्य संविदाकारी राज्यों के कानूनों की प्रयोज्यता को पूरी तरह से निरस्त करके बाहर करना और पेप्सू के पूरे क्षेत्र में पटियाला राज्य में लागू कानूनों को लागू करना था। चूंकि एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 1 और 16 द्वारा अन्य संविदाकारी राज्यों के कानूनों को हमेशा के लिए निरस्त करने का इरादा था। इसलिए उक्त अध्यादेशों की समाप्ति का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त अध्यादेशों की प्रयोज्यता पर प्रभाव पड़ेगा। पी.ई.पी.एस.यू. के क्षेत्र में अन्य संयोजक राज्यों के कानूनों को एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 16 की समाप्ति पर रद्द कर दिया गया था। उक्त अध्यादेशों में इस्तेमाल की गई स्पष्ट शर्तोंे के मद्देजनर यह माना जाना चाहिए कि जींद राज्य सिविल सेवा विनियम, 1945 निरस्त कर दिया गया था। 20 अगस्त, 1948 को पी.ई.पी.एस.यू. के राजप्रमुख द्वारा जींद राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद इसका कोई उपयोज नहीं रह गया।

उत्तरदाता की राह में एक और कठिनाई है। 20 अगस्त, 1948 को पेप्सू की स्थापना के बाद जींद राज्य सिविल सेवा विनियम, 1945 के प्रावधानों को जारी नहीं रखा गया था। एस. 20054 के अध्यादेश संख्या 1 की धारा 3 द्वारा पेप्सू के अनुबंधित राज्यों के कानूनों के प्रावधानों को निरस्त किया गया। इसका मतलब यह नहीं है, लेकिन इस तरह के निरसन के लिए उक्त कानून बिना किसी और बात के अनुबंधित राज्यों में लागू रहेंगे। भोलानाथ जे. ठाकर (सुप्रा) में राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित 1948

के अध्यादेश संख्या 1 के समान किसी भी कानून के अभाव में, उस राज्य के क्षेत्र में जींद राज्य के कानूनों को जारी रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि 20 अगस्त, 1948 को पेप्सू के राजप्रमुख द्वारा जींद राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद भी जींद राज्य सिविल सेवा विनियम, 1945 लागू रहे। इसलिए एस. 2005 के अध्यादेश संख्या 16 की समाप्ति का प्रभाव नहीं हो सका। उक्त अध्यादेश की समाप्ति के बाद जींद राज्य सिविल सेवा विनियम, 1945 को पुनर्जीवित करने का।

इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पेप्सू के राज प्रमुख ने पेप्सू के गठन के बाद 1945 के जींद राज्य सिविल सेवा विनियमों के तहत जींद राज्य के कर्मचारियों को दिए गए अधिकारों को कभी मान्यता दी थी। दूसरी ओर, हम पाते है कि पेप्सू सेवा विनियम, 1952 के अध्याय IX के अनुच्छेद 9.1 द्वारा, पेप्सू राज्य के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई थी। पेप्सू सेवा विनियम, 1952 में उक्त प्रावधान कानून था जिसके पेप्सू राज्य में लागू सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में पहले के कानूनों को संशोधित किया, जिसमें 1945 के जींद राज्य सिविल सेवा विनियम भी शामिल थे, भले ही यह मान लिया जाये कि उक्त विनियम उस समय लागू थे। संविधान के अनुच्छेद 372 के आधार पर समय पीईपीएसयू के भाग बी राज्य में कानून को संशोधित करने वाला कानून बनाने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी, जिसे

संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत लागू रखा गया था। प्रसंविदा के खंड XVI जिस पर श्री गुप्ता ने भरोसा जताया था, को ऐसी सीमा लगाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसाकि पहले कहा गया है, प्रसंविदा राज्य का एक अधिनियम है और प्रतिवादी उक्त खंड के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। संधि में पीईपीएसयू सेवा विनियम, 1952 के बनने के बाद पीईपीएसयू के भाग बी राज्य में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई थी तो तब तक जारी रही जब तक कि पीईपीएसयू के भाग बी राज्य का राज्यों के पुनर्गठन के तहत पंजाब के पुनर्गठित राज्य में विलय नहीं हो गया। संगठन अधिनियम, 1956 और उसके बाद पंजाब सिविल सेवा नियम पूर्व में लागू किए गए जबकि पेप्सू सरकार के कर्मचारी जो पंजाब सरकार के कर्मचारी बन गए और परिणामस्वरूप, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई। एक बार जब यह माना जाता है कि पीईपीएसयू सेवा विनियम और पंजाब सेवा नियम सभी पीईपीएसयू सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगे है, तो प्रतिवादी, जो एक ऐसा कर्मचारी था, को पीईपीएसयू सेवा विनियम और पंजाब सेवा नियमों द्वारा शासित होना होगा और वह इसका दावा नहीं कर सकता है। वह जिंद राज्य सिविल सेवा विनियम, 1945 के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहे। चूंकि पंजाब सेवा नियमों के अनुच्छेद 3.26 के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी, इसलिए

प्रतिवादी को उक्त आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना उचित था।

उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने में असमर्थ है कि प्रतिवादी जींद राज्य सिविल सेवा नियम, 1945 में निहित प्रावधानों के आधार पर 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का हकदार था। इसलिए आर.एस.ए. में पारित उच्च न्यायालय के दिनांक 6 जुलाई, 1993 के आक्षेपित निर्णय के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। क्रमांक 1491/1990 को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल मुकदमा खारिज कर दिया गया है, लेकिन इन परिस्थितियों में लागत को लेकर कोई आदेश नहीं है।

बी.के.एस.

अपील की अनुमति दी गई।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुषमा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)